

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memo

Dated- 30-10-2013

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **2.4342 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Nargoli-Simayal-Bhandariga-Saliya-Jagurabas motor road in Bageshwar district falls within jurisdiction of Nargoli, Simayal, Bhandariga, Saliya and Kafali villages in Kanda Tehsil.**

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **2.4342 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-4.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 30-10-2013

Signature

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 30.10.2015 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के प्रमाण पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा नरगोली-सिमायल-भंडारीमेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है० भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, द्वारा नरगोली-सिमायल-भंडारीमेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति कांडा के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर नरगोली-सिमायल-भंडारीमेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है० उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा नरगोली-सिमायल-भंडारीमेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के लिए 2.4342 है० भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीगांव-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम
तहसील कांडा जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भंडारीगांव-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4342 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.10.15 के सम्बन्ध ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम एवं के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
वि०ख०/जनपद-बागेश्वर

.....
वन पंचायत नरगोली
जिला- बागेश्वर

.....
ह०/
ग्राम पंचायत नरगोली
वि०ख०/जनपद-बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीगांव-
सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

दिनांक 21/10/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत नरगोली

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मानिल शैतेला	Kantela
2	महेबा शैतेला	Kantela
3	मानिल शैतेला	Kantela
4	दीवान राज	दीवान राज
5	माधवी नन्द पन्त	Maunat
6	नवीन चन्द पन्त	नवीन
7	अमित पन्त	Amit
8	अपेन्द्र सिंह	अपेन्द्र
9	लालका शैतेला	लालका
10	नरगोली	नरगोली
11	दोपती देवी	दोपती देवी
12	मनोज शैतेला	मनोज
13	सावित्री शैतेला	सावित्री
14	शुभेन्द्र शैतेला	शुभेन्द्र
15	नरगोली	नरगोली
16	नरगोली	नरगोली

17 पुष्पा शैतेला

ग्राम पंचायत नरगोली
क्षेत्र नरगोली
जिला बागेश्वर

सरपंच
ग्राम पंचायत नरगोली
जिला बागेश्वर

ग्राम पंचायत नरगोली
वि० खण्ड जनपद बागेश्वर

(20) चंचल सिंह जौहला

(21) लालू राम

(22) धीरू सिंह

(23) लाल सिंह

(24) प्रेम सिंह

(25) सूरज सिंह

(26) पुष्कर सिंह

(27) गिरधारी सिंह

(28) लक्ष्मण सिंह जौहला

६०

CShautila

०१/०५/११ (११/५/११)
दीर्घादि

०१/०५/११
CShautila

Antela

Antela

Antela

Gudhar Singh

Receivd

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रावतसेरा
तहसील काण्डा- जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4324 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रावतसेरा द्वारा दिनांक 29-05-2019 ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत रावतसेरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० / [Signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र: रावतसेरा
बि०ख०: बागेश्वर
जन०द: बागेश्वर

[Signature]
ग्राम प्रधान
ह० /

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

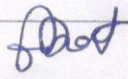
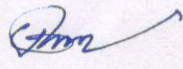
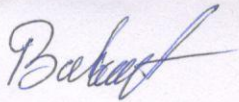
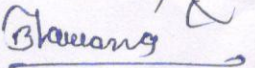
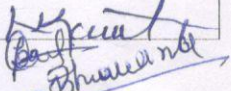
1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-
भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रावतसेरा, तोक मोडा (गँव)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	जो कुल सिंह	
2-	सुरेश सिंह	
3	योगेश सिंह	
4	मनोज सिंह	मनोज सिंह
5.	जगमोहन सिंह	
6-	विवेक सिंह	
7-	कृपाल सिंह	
8	जीवन सिंह	
9	वसन्ती देवी	वसन्ती देवी
10	कौशल्या रावत	कौशल्या रावत
11	मुन्नी रावत	मुन्नी रावत
12	महेश सिंह	महेश सिंह
13	भावना रावत	भावना रावत
15	कविता	
16	Kavita	
17	भावना रावत	

ग्राम पंचायत
निर्वाहक अधिकारी

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रावतसेरा
तहसील काण्डा- जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4324 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रावतसेरा द्वारा दिनांक 29-05-19 ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत रावतसेरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० [Signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र : रावतसेरा
बि०ख०: बागेश्वर
जनपद: बागेश्वर

[Signature]
ग्राम प्रधान
ह०/
क्षेत्र : रावतसेरा
बि०ख०: बागेश्वर
जनपद: बागेश्वर

* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-30.1

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रावतसेरा, तोक शनिघिया

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	आनंद	आनंद
2	कलावती रावल	कलावती रावल
3-	आनंदसिंह	आनंदसिंह
4		
5:	जोषुल सिंह	जोषुल

पंचायत
पंचायत सचिव
पंचायत सचिव
पंचायत सचिव

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-
भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम धारी-II
तहसील काण्डा- जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

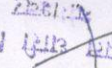
जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगँव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है० सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4324 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धारी-II द्वारा दिनांक 29-05-19 ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपरिथत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत धारी-II के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० / 
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र: धारी-II
जिला: बागेश्वर
जनपद: बागेश्वर


ह० /
ग्राम प्रधान
जानकी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत धारी-II

* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो सन्तुष्टानुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6

प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-
भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूडाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत-धारी II, तोक जोग्यूडाबास

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजू राम	राजू राम
2-	तारा राम	तारा
3	शेर राम	शेर राम
4	गोपाल राम	गोपाल
5	चापू राम	चापू
6	सुनील राम	सुनील राम
7	पुन राम	पुन
8	फकीर राम	फकीर राम
9	भरत राम	भरत राम
10	पवन राम	पवन राम
11		
12		

जानकी देवी

प्रधान
ग्राम पंचायत धारी II
20 मई

29/05/2019
11
2019

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम दारी-II
तहसील काण्डा- जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में नरगोली-सिमायल-भण्डारीगॉव-सलिया-जग्यूड़ाबाज मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.4624 है0 सिविल सोयम भूमि, 1.9718 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 2.4324 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दारी-II द्वारा दिनांक 29-05-19 ... को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्रामपंचायत- के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह0 [Signature]
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
क्षेत्र: दारी-II
जिला: बागेश्वर
जनपद: बागेश्वर

जानकी देवी

प्रधान
ह0/ 11
ग्राम पंचायत
बागेश्वर प्रधान

यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-30.1

दिनांक 29-05-2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजत सिंह	राजत
2-	कृपाल सिंह	कृपाल
3-	पूरन सिंह	पूरन सिंह
4-		
5	बलरत सिंह	बलरत सिंह
6-	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह

ज्ञान की देवी

प्रधान
राम पद्मायत धारी
१० म्ब०- बाग

ARCHIVE OF OF

11 1213 1214 1215

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कांडा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- कांडा

उपखण्ड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (0.00 है० आरक्षित वनभूमि, 0.4624 है०, सिविल सोयम वन भूमि, 1.9718 है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 2.4342 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील कांडा की दिनांक 28.10.2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्रीमती रेखा कोहली, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्रीमती रेखा कोहली	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री के०एस०रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव
4-	श्री कुन्दर सिंह बोरा	बी०डी०सी० क्षेत्र टकना	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.4342 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखंड कांडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत नरगोली-सिमायल-भंडारी-~~सलिया~~-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.4342 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील कांडा
जनपद बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30.3

परियोजना का नाम:- जिला योजना में जनपद बागेश्वर में नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-
सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग का निर्माण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित नरगोली-सिमायल-भंडारीसेरा-
-सलिया-जग्यूड़ाबास मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 2.4342 है० वन भूमि लोक निर्माण
विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड
स्तरीय वन अधिकार समिति कांडा तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र
निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार
परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही
है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 30.10.2015

(भूपाल सिंह मुन्नाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।